छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | पंचम सत्र | अंक-14

<u>रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2025</u>

(फाल्गुन 27, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या- 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 58 तारांकित एवं 73 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) एफ 1-5/2014/18, दिनांक 12 सितम्बर, 2024,

(ii) एफ 1-5/2014/18, दिनांक 8 नवम्बर, 2024,

(iii) एफ 1-5/2014/18, दिनांक 11 नवम्बर, 2024,

(iv) एफ 1-134/2024/18, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024,

(v) एफ 1-135/2024/18, दिनांक 10 दिसम्बर, 2024,

(vi) एफ 1-138/2014/18, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024,

(vii) एफ 1-138/2024/18, दिनांक 15 जनवरी, 2024 तथा

(viii) एफ 1-137/2014/18, दिनांक 13 फरवरी, 2025,

पटल पर रखा।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री राजेश मूणत, डॉ. चरणदास महंत सदस्य ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता पद के लिये सिविल इंजीनियरिंग डिग्री धारकों को आवेदन देने से वंचित किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

5. बहिर्गमन

(श्री उमेश पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य ने महासमुन्द जिले में कीटनाशक दवाईयों को कृषि सेवा केन्द्रों में अवैध रूप से बिक्री किये जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. बहिर्गमन

(श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।)

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती चातुरी नंद

(2) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा

(3) श्रीमती रायमुनी भगत

(4) श्री बालेश्वर साहू

(5) श्री अटल श्रीवास्तव

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अमर अग्रवाल, सदस्य याचिका समिति ने समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री भईया लाल राजवाड़े, सभापति शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति ने समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

10. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

(1) श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य ने पुनर्ग्रहित चर्चा प्रारंभ की ।

सर्वश्री गजेन्द्र यादव, दलेश्वर साहू

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सुशांत शुक्ला, ब्यास कश्यप, अनुज शर्मा, श्रीमती चातुरी नंद, श्री दीपेश साहू

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामकुमार यादव, अजय चन्द्राकर, कुंवर सिंह निषाद, धरमलाल कौशिक

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती संगीता सिन्हा,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री पुन्नूलाल मोहले, लखेश्वर बघेल

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पुस्तिका में संशोधन संबंधी सूचना

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया कि बजट पुस्तिका क्रमांक 25 के पृष्ठ क्रमांक-76 के मांग संख्या-64 मुख्य शीर्ष 4225, मद क्रमांक-6 अंतर्गत उल्लेखित **"भण्डारपुरी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में गुरूद्वारा (मोती महल)** निर्माण हेतु रूपये 17.80 लाख का व्यय संभावित है" **को संशोधित करते हुए "भण्डारपुरी, जिला रायपुर में गुरूद्वारा (मोती महल)** निर्माण हेतु रूपये 17.80 लाख का व्यय संभावित है" पढ़ा जाये।

12. वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(2) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-6, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या- 21, योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-31, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (राज्य कर एवं स्टाम्प पंजीयन) से संबंधित मांग संख्या-7 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-6 पर द्वारिकाधीश यादव, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री अमर अग्रवाल, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री सुनील सोनी

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

कार्यसूची के पद क्रमांक-6 के अन्तर्गत दिनांक 26 जुलाई, 2024 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-05 (क्रमांक-426) के उत्तर से उदभूत विषय पर नियम-52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा के प्रस्तुतकर्ता सदस्य के अनुपस्थित होने के कारण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

रात्रि 9.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 (फाल्गुन-28, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा